25/6
18

पत्रावली पेश हुई। [illegible]

पीठासीन अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
[illegible] (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –
46 / 2016 / वाद पत्र

तारीख दायर
26.05.2016

तारीख फैसला
25.06.2018

उनवान

श्री ठाकुर जी गोपाल जी जरिये पुजारी गोविन्द पिता परमानन्द वैष्णव नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा

– वादी

बनाम

1– नरेन्द्र उर्फ नन्दा पिता देवकीनन्दन वैष्णव नि0 आदर्श नगर शाहपुरा
2– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री विवेक दाधीच : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– कस्बा शाहपुरा के कोठार मोहल्ला माथुर साहब की हवेली मे एक मन्दिर ठाकुरजी गोपाल जी का मन्दिर रियासत काल के समय से ही बना हुआ है एवं उक्त मन्दिर की सेवा पूजा का अधिकार तत्कालीन राजाधिराज नाहरसिंह ने दिनांक 04.01.1918 ई0 मे दानपात्र जारी किया और मन्दिर के नाम पर 24 बीघा 06 बिस्वा भूमि काश्त करने हेतु दी गई। इसी प्रकार महाराजा नाहरसिंह के पश्चात् उम्मेदसिंह जी ने उक्त मन्दिर की सेवा पूजा करने की एवज मे 06 बीघा 09 बिस्वा भूमि 09.10. 1917 को पुजारी मथुरादास पिता उँकारदास वैष्णव को दानपत्र जारी किया गया। जो वादी के पूर्वज है। हाल जमाबन्दी शाहपुरा संवत 2068 से 71 खाता संख्या 781 आ0न0 1749 रकबा 0.25 है0, आ0न0 1992 रकबा 0.48 है0, आ0न0 1996 रकबा 0.46 है0, आ0न0 1997 रकबा 0.94 है0, आ0न0 3597 रकबा 0.13 है0, आ0न0 3598 रकबा 0.69 है0, आ0न0 6361 रकबा 0.87 है0, आ0न0 6362 रकबा 0.83 है0, आ0न0 6363 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 आ0चा0, आ0न0 6373 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआ, आ0न0 6379 रकबा 0.73 है0, आ0न0 8205 रकबा 1.62 है0 कुल किता 12 रकबा 7.04 है0 ठाकुर जी गोपालजी स्थान देह खुदकाश्त खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पूर्व मे पुजारी मथुरादास काश्त करते चले आ रहे थे एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोकलदास काश्त करने लगे और गोकलदास की कोई सन्तान नही होने से अपने जीवनकाल मे परमानन्द को गोद ग्रहण कर लिया व उनकी मृत्यु के बाद गोकलदास की पत्नि राधा ने दिनांक 14.09.1978 को विधिवत रूप से परमानन्द को जरिये गोदनामे के गोदपुत्र ग्रहण किया जिन्होने उक्त मन्दिर की सेवा पूजा करने और आराजी को पुजारी की हैसियत से काश्त करते चले आ रहे थे। परमानन्द की मृत्यु के बाद उक्त मन्दिर की सेवा पूजा वादी करता चला आ रहा है। प्रतिवादी नं0 1 के दादा जिस मन्दिर की सेवा पूजा करते है वो मन्दिर

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

गोपालजी अस्थल मन्दिर की सेवा पूजा करते है। उक्त मन्दिर की जमीनें अलग है लेकिन प्रतिवादी नं0 1 ने जिसके पिता जीवित है जो पुजारी बालमुकन्द जी के पुत्र है वो गोपालजी अस्थल मन्दिर के पुजारी है लेकिन प्रतिवादी नं0 1 अपने पिता के जीवित होते हुये भी अपने आपको पुजारी मानते हुये जिस मन्दिर की सेवा पूजा उसके पिता करते है उस आराजी को छोड़कर वादी मन्दिर की आराजीयात को अपने मन्दिर की आराजीयात बताते हुए न्यायालय श्रीमान् के यहॉ पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो गलत है। पत्थरगढ़ी के जरिये कब्जा करना चाहता है। जिसे स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। वादी पुजारी के पक्ष मे व प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वाद के पेरा नं. 4 मे वर्णित वादी मन्दिर की भूमि मे किसी प्रकार से कब्जा नही करे एवं वादी को बेदखल नही करे एवं वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे व न करावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 05.07.2016 को प्रतिवादी नं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री रामप्रसाद जाट ने अधिकार पत्र पेश किया एवं 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। दिनांक 03.10.2016 को प्रतिवादीगण को जवाब दावा हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक 28.11.2016 को प्रतिवादी नं0 2 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी नं0 1 को न्याय हित मे और अवसर दिया गया। दिनांक 10.04.2017 को जवाब दावा हेतु 200/– कोस्ट पर अवसर दिया गया। दिनांक 15.11.2017 को प्रतिवादी व उनके अभिभाषक उपस्थित नही होने से उनका जवाब दावा बन्द किया जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 25.06.2018 को वादी स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। नाहरसिंह जी द्वारा मन्दिर श्री गोपाल जी को दान पत्र के जरिये शाहपुरा मे स्थित आराजीयात 24 बीघा 06 बिस्वा भेट की गई जिस पर नाहरसिंह जी के हस्ताक्षर है। इसी प्रकार उम्मेदसिंह जी द्वारा मथुरादास सुत उॅकारदास जाति स्वामी ग्राम शाहपुरा मे स्थित आराजीयात 06 बीघा 09 बिस्वा भेट की गई जिस पर उम्मेदसिंह जी के हस्ताक्षर है। गोदनामा बरजी बेवा गोकलदास साधू निवासी शाहपुरा ने परमानन्द को गोद लिया जो दिनांक 14.09.1978 उप पंजीयक शाहपुरा के यहॉ पंजीयन कराया गया। जिसमे उनकी चल अचल सम्पति का मालिक परमानन्द को माना है। उक्त गोदनामा के आधार पर इन्तकाल नं0 1211 दिनांक 12.12.1978 को दर्ज किया गया। कमिश्नर, देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर द्वारा वार्षिकी के भुगतान की आज्ञा क्रमांक 6 भीलवाडा मे मन्दिर श्री ठाकुरजी गोपालजी पुजारी श्री गोकलदास जी पिता मथुरादास जी दर्ज है। जागीर कमिश्नर राजस्थान, जयपुर के यहॉ से वर्ष 1963 के रूपये 50 पैसे 68 मात्र मन्दिर ठाकुर जी गोपाल जी स्थान देह जरिये पुजारी गोकलदास वल्द मथुरादास बैरागी दर्ज होकर दिनांक 26.08.1964 को जारी किया गया। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि राजाधिराज श्री नाहरसिंहजी , उम्मेदसिंह जी द्वारा जरिये दान पत्र के जरिये ठाकुरजी गोपालजी महाराज शाहपुरा के नाम 24

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

बीघा 06 बिस्वा एवं 06 बीघा 09 बिस्वा भूमि पुजारी श्री मथुरादास पिता उँकार दास को सेवा करने की एवज मे दी गई है। मथुरादास की मृत्यु के बाद उनके पुत्र श्री गोकलदास द्वारा सेवा पूजा की गई तथा दान दी गई भूमि का उपयोग उपभोग करते रहे। गोकलदास की मृत्यु हो चुकी है तथा गोकलदास के कोई सन्तान नही थी गोकलदास की पत्नि बरजी ने अपने जीवन काल मे ही मन्दिर की सेवा पूजा हेतु श्री परमानन्द को जरिये रजिस्ट्रर्ड गोदनामे के गोद रखा जिसके द्वारा मन्दिर की सेवा पूजा की गई तथा जमीन का उपयोग उपभोग करता रहा। परमानन्द की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुत्र वादी उक्त मन्दिर की सेवा पूजा करते हुए जमीन का उपयोग उपभोग कर रहा है तथा प्रतिवादीगण नं0 1 के पिता मन्दिर श्री गोपालजी अस्थल मन्दिर की सेवा पूजा करते है तथा इस मन्दिर की सेवा पूजा के एवज मे दी गई जमीने भी अलग है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टि0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी नं0 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा मे स्थित जमाबन्दी संवत 2068 से 71 खाता संख्या 781 आ0न0 1749 रकबा 0.25 है0, आ0न0 1992 रकबा 0.48 है0, आ0न0 1996 रकबा 0.46 है0, आ0न0 1997 रकबा 0.94 है0, आ0न0 3597 रकबा 0.13 है0, आ0न0 3598 रकबा 0.69 है0, आ0न0 6361 रकबा 0.87 है0, आ0न0 6362 रकबा 0.83 है0, आ0न0 6363 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 आ0चा0, आ0न0 6373 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआ, आ0न0 6379 रकबा 0.73 है0, आ0न0 8205 रकबा 1.62 है0 कुल किता 12 रकबा 7.04 है0 जो ठाकुर जी गोपालजी स्थान देह खुदकाश्त खातेदार दर्ज रेकार्ड है, कि भूमि से वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार से बाधा कारित नही करे न करावे व वादी को भूमि से बेदखल नही करे व न करावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

Scanned by CamScanner